

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-10) विभाग

क्रमांक: प.24(12)(1)विविध/अभि/2024

जयपुर, दिनांक: ई-हस्ताक्षरित

आदेश

राज्य के नवीन जिलों में सृजित किशोर न्याय बोर्ड में अभियोजन की ओर से पैरवी किये जाने हेतु वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 182501681 दिनांक 09.12.2025 के द्वारा अभियोजन निदेशालय की स्ट्रेन्थ पर निम्नानुसार 24 नवीन पदों के सृजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	सृजित पदनाम	पदों की संख्या
1.	किशोर न्याय बोर्ड, बालोतरा	सहायक निदेशक अभियोजन	01
		कनिष्ठ सहायक	01
		सहायक कर्मचारी(होमगार्ड)	01
2.	किशोर न्याय बोर्ड, ब्यावर	सहायक निदेशक अभियोजन	01
		कनिष्ठ सहायक	01
		सहायक कर्मचारी(होमगार्ड)	01
3.	किशोर न्याय बोर्ड, डीडवाना—कुचामन	सहायक निदेशक अभियोजन	01
		कनिष्ठ सहायक	01
		सहायक कर्मचारी(होमगार्ड)	01
4.	किशोर न्याय बोर्ड, डीग	सहायक निदेशक अभियोजन	01
		कनिष्ठ सहायक	01
		सहायक कर्मचारी(होमगार्ड)	01
5.	किशोर न्याय बोर्ड, खैरथल—तिजारा	सहायक निदेशक अभियोजन	01
		कनिष्ठ सहायक	01
		सहायक कर्मचारी(होमगार्ड)	01
6.	किशोर न्याय बोर्ड, कोटपूतली—बहरोड़	सहायक निदेशक अभियोजन	01
		कनिष्ठ सहायक	01
		सहायक कर्मचारी(होमगार्ड)	01
7.	किशोर न्याय बोर्ड, फलौदी	सहायक निदेशक अभियोजन	01
		कनिष्ठ सहायक	01
		सहायक कर्मचारी(होमगार्ड)	01
8.	किशोर न्याय बोर्ड, सलूम्बर	सहायक निदेशक अभियोजन	01
		कनिष्ठ सहायक	01
		सहायक कर्मचारी(होमगार्ड)	01
योग			24



उक्त सृजित पदों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	सृजित पदनाम	पदों की संख्या
1.	सहायक निदेशक अभियोजन	8
2.	कनिष्ठ सहायक	8
3.	सहायक कर्मचारी(होमगार्ड)	8

आज्ञा से,

(तिरूपति कुमार गुप्ता)
शासन सचिव, गृह(विधि)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. वरिष्ठ उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
5. शासन सचिव, महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
6. शासन सचिव, समाज कल्याण विभाग, जयपुर।
7. संबंधित जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक।
8. संबंधित किशोर न्याय बोर्ड।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय-4) विभाग।
10. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव, गृह(विधि)